फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली जिला उदयपुर

प्रार्थी :– **श्री उदयलाल** विपक्षी :– **राजस्थान राज्य**

किस्म मुकदमा :– 136 एलआरएक्ट पत्रावली संख्या :– **223/25 वाद**

जीसीएमएस नम्बर :– **2025/675**

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक : 10.02.2026	

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी स्वयं एवं राजपैरोकार उपस्थित। प्रकरण में स्वयं प्रार्थी एवं राजपेरोकार की बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। स्वयं प्रार्थी एवं राजपेरोकार की बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा राजस्व रेकार्ड में अपना स्वयं का नाम दुदाराम पिता दीपा भील नाम गलत अंकित होना बताया जिसे दुरूस्त किया जाने का निवेदन किया। राजपैरोकार मावली द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर नाम गलत अंकित होने से उसे संशोधन किया जाने हेतु कोई आपत्ति जाहिर नहीं की है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चीपीखेडा की टीसी की फोटोप्रति, राशनकार्ड की फोटोप्रति, आधार कार्ड की प्रति, मतदाता पहचान पत्र की फोटोप्रति, कार्यालय ग्राम पंचायत गोलवाडा तहसील मावली द्वारा जारी प्रमाण पत्र, प्रार्थी स्वयं का 50/– रूपये स्टाम्प पर शपथ पत्र, सहखातेदार राजुबाई, लाली, डाली, मन्जु, मांगीलाल का 50/– रूपये स्टाम्प पर शपथ पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र अनुसार नाम संशोधन किया जाने का निवेदन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रार्थी का नाम उदयलाल पिता दीपा होना जाहिर होता है। तहसीलदार मावली की रिपोर्ट अनुसार भी दुदाराम पिता दीपा एवं उदयलाल पिता दीपा को एक ही व्यक्ति होना बताया हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि ग्रामीण परिवेश में आपस में बोलचाल में अलग नाम से पुकारते है जबकि वास्तविक नाम अलग होता है। पटवारी हल्का द्वारा विरासत का नामान्तरकरण दर्ज करते समय ग्रामीणों से मृतक के वारिसान के संबंध में पुछताछ/जानकारी करता है तो ग्रामीणजन उनको जिस नाम से पुकारते है वही नाम बता देते है। जिससे उनका नामान्तरकरण वास्तविक नाम से पारित नही होकर ग्रामीण क्षेत्र के बोलचाल के नाम से हो जाता है। इस प्रकरण में भी प्रार्थी को ग्रामीण परिवेश में लोग दुदाराम के [illegible] पुकारते थे, जिससे राजस्व रिकॉर्ड में दुदाराम अंकित हो गया, [illegible]क प्रार्थी का वास्तविक नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 15:30:33 IST
Reason: SelfAttested

उदयलाल है। अतः राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत अंकित होने से उसे सही किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा चीपीखेडा पटवार हल्का गोलवाडा तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 के खाता संख्या 37, 39, 49, 50 पर दर्ज आराजीयात भूमि में प्रार्थी का नाम दुदाराम पिता दीपा के बजाय उदयलाल उर्फ दुदाराम पिता दीपा संशोधन किया जाने का आदेश दिया जाता हैं। शेष खाता बदस्तूर रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले ईजलास लिखा जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.02.10 16:30:33 IST
Reason: SelfAttested